पाठ 9

सामाजिक समस्याएँ : मिलकर निवारण करना

लिंग–भेद, भ्रूण–हत्व्या, बाल–विवाह, यौन–हिंसा, महिला–उत्पीड़न, बालश्रम आदि समस्याएँ समाज के सन्तुलित विकास में बाधाएँ हैं। किशोर मन, भावुक व अनुकरणशील होता है। अतः किशोरावस्था में ही इन बुराइयों के विपरीत प्रभाव व दुष्परिणामों से अवगत होना इन समस्याओं के निदान में ठोस एवं कारगर कदम सिद्ध होगा।

व्यक्ति के जीवन पर उसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति अपने घर, परिवार, आस–पड़ोस, रीति–रिवाज मान्यताओं से प्रभावित होता है। किशोरावस्था परिवर्तन की आयु होती है इस आयु में इन सभी बातों का प्रभाव किशोरों पर भी पड़ता है। इन सभी के साथ–साथ किशोरों के जीवन पर समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याएँ भी प्रभाव डालती हैं। कुछ सामाजिक समस्याएँ निम्नलिखित हैं –

सामाजिक लिंग भेद (Gender)

महिला व पुरुष की घर व बाहर की जिम्मेदारियाँ तथा भूमिकाएँ बहुत हद तक बँटी हुई हैं। जहाँ स्त्री व पुरुष दोनों को एक ओर तो अधिकार व सुविधाएँ मिली हुई हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निषेधाज्ञाएँ, बाध्यताएँ तथा जिम्मेदारियाँ उन पर डाली गयी हैं। कई बार ये सभी छोटी व बड़ी बातें हमारे व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा के अवसर व भविष्य निर्माण को प्रभावित करते हैं तथा सामाजिक समस्या का रूप ले लेते हैं।

सामाजिक लिंग शब्द को यहाँ हमें खूब अच्छी तरह से समझना होगा। लड़के–लड़की, पुरुष–स्त्री से जुड़ी सामाजिक मान्यताओं को सामाजिक लिंग कहते हैं। यह परिभाषा समाज बनाता है। यह भेद प्रकृति ने नहीं बनाया है। दूसरे शब्दों में, लिंग जैविकीय तथा प्राकृतिक अन्तर को बताता है जिसे बदला नहीं जा सकता, जबकि सामाजिक लिंग–भेद समाज द्वारा बनाये गये हैं। सामाजिक लिंग शब्द का सम्बन्ध सिर्फ महिलाओं तथा उनकी समस्याओं से नहीं है। सामाजिक लिंग महिला व पुरुष के बीच सामाजिक रूप से स्वीकृत भूमिकाओं व सम्बन्धों की व्यवस्था को दर्शाता है।

चित्र 9.1

स्त्री पुरुष में कुछ जैविकीय अन्तर है जैसे – मासिक धर्म, गर्भधारण और स्तन पान, जो प्रकृति ने दोनों के मध्य विभाजन व सामन्जय स्थापित करने के लिये बनाये हैं। इनके अतिरिक्त ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिला व पुरुष असमान हैं। सोचना, समझना, निर्णय लेना, हँसना, रोना, दुःखी होना, भावुकता आदि सभी गुण महिला व पुरुष दोनों में समान रूप से पाये जाते हैं। परन्तु हम यदि अपने परिवार में या आस–पड़ोस में देखें तो महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं में अन्तर देखा जा सकता है। जैसे –

- पुरुष का काम पैसा कमाना और महिला का घर की सम्भाल करना।
- पुरुष धन लाने वाला है अतः उसे अधिक स्वस्थ एवं शिक्षित होना आवश्यक है।

यह स्थिति बराबरी की ओर संकेत नहीं देती है। संविधान में अवसरों का कोई भेदभाव नहीं है। एक नागरिक के रूप में सभी को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं –

- समानता का अधिकार।
- शोषण के विरुद्ध अधिकार।
- व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार।

• धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार।
• सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार।
• आर्थिक स्वतन्त्रता व स्वावलंबन का अधिकार।

विचार करें कि हमारे आस–पास महिला व पुरुषों की जो भूमिकाएँ, अधिकार व जिम्मेदारियाँ हैं, क्या वे बालिका लिंग भेद कों दर्शाती हैं ? क्या उन्हें पढ़ने–लिखने, स्वस्थ रहने, आराम करने, अपने निर्णय लेने के समान अवसर प्राप्त हैं ?

चित्र 9.2

सामाजिक लिंग भेद की यह पूरी विषमता पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर कई गम्भीर समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। कई घटनाएँ जो देखने, सुनने और पढ़ने से पता लगती हैं :

• एक 14 वर्ष की लड़की का 55 वर्ष के आदमी के साथ विवाह कर दिया गया।
• लड़के की चाहत में परिवार में 6 लड़कियाँ पैदा हुईं।
• एक गर्भवती स्त्री की जाँच करवाई गयी लड़की का पता लगने पर गर्भपात करवा दिया गया।

किशोरावस्था में भी सामाजिक लिंग भेद जीवन व्यवहार में प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। किशोर न चाहते हुए भी इस सामाजिक लिंग भेद को अपने जीवन का आवश्यक अंग मानने लगते हैं और इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। यह जरूरी है कि सामाजिक लिंग भेद के मुद्दों पर अपनी समझ बनाएँ। अपने विद्यालय में, परिवार में, मित्रों के बीच विस्तार से चर्चा करें तथा प्रचलित सामाजिक लिंगभेद की प्रवृत्तियों व व्यवहारों को हतोत्साहित करें जिससे कि सामाजिक लिंग भेद के कारण किसी व्यक्ति विशेष, बालिका या महिला के विकास की सम्भावना अवरुद्ध न हो जाए।

बालिका भ्रूण हत्या

हमारे देश में बढ़ती हुई बालिका भ्रूण हत्या एक चिन्ता का विषय है। जन्म से पहले या तुरन्त बाद बालिका भ्रूण या शिशु को क्रूर तरीके से मार दिया जाता है। यद्यपि संसद में प्रसव से पूर्व तकनीकी विनिमय और दुरुपयोग निवारण विधेयक 1994 में प्रस्तुत किया गया जिसे दो वर्ष बाद कानूनी स्वरूप प्रदान करने के बाद, 1 जनवरी 1996 में लागू कर दिया गया। राज्य सरकारों ने इस अधिनियम को कड़ाई से लागू करने की दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। जैसे– सम्बद्ध संस्थाओं के पंजीयन फार्म में इस प्रकार की घोषणाएँ किया जाना कि, ऐसा कोई भी परीक्षण जो गैर कानूनी है, नहीं किया जाना चाहिए। अगर वे इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनका पंजीयन रद्द कर दिया जायेगा।

हमारे लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि इन घोषित प्रतिबन्धों के अनुसार भ्रूण के लिंग–परीक्षण से सम्बन्धित विज्ञापन–व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा नहीं किये जा सकते। अल्ट्रासाउण्ड मशीनों द्वारा पूर्व लिंग निर्धारण अवैध है। यदि इनका प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति अथवा संस्था को 1 लाख रुपये जुर्माना और 10 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया जा सकता है। यही नहीं, ऐसे चिकित्सक का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। यदि कोई संस्था या व्यक्ति किसी गर्भवती स्त्री पर भ्रूण, लिंग परीक्षण करवाने के लिये दबाव डालता है तो स्त्री की शिकायत पर व्यक्ति को 5 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

बालिका भ्रूण हत्या मात्र विकासशील देशों की समस्या और अप्राकृतिक व्यवहार नहीं है वरन् यह एक विश्वव्यापी गम्भीर विचारणीय विषय है जिसके कारण जनसंख्या में लिंग असन्तुलन, स्वास्थ्य समस्या, यौन हिंसा, बहुविवाह जैसी समस्याएँ विकसित हो रही हैं।

कानून केवल इस समस्या के समाधान में आंशिक रूप से ही सहयोग कर सकता है। यह एक सामाजिक समस्या है। अतः इसका समाधान भी सामाजिक सोच में बदलाव से ही सम्भव है। किशोर वर्ग भी समाज में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करने में अपना अहम् योगदान देकर और बालिका भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध एवं कुरीति को दूर करने में सहयोग कर सकता है।

बाल विवाह

यह हम सभी जानते हैं कि भारत गाँवों का देश है। आज भी बाल विवाह हमारे यहाँ हो रहे हैं। हमारे प्रदेश में आखातीज पर हजारों की संख्या में बाल विवाह होते हैं। गोद में बैठाकर या किसी बर्तन में बैठाकर लड़के–लड़कियों के विवाह आज भी होते हैं। कुछ जातियों में माता–पिता बच्चे के जन्म से पहले यह तय कर लेते हैं कि भावी सन्तानों का विवाह हम एक दूसरे के परिवार में करेंगे।

कम उम्र में बच्चों की शादी होने से बच्चे और बच्चियाँ शादी के महत्त्व को नहीं समझ पाते हैं व साथ ही अविकसित शरीर प्रजनन व पारिवारिक जिम्मेदारियों को सह नहीं पाते हैं। अधिक सन्तान उत्पत्ति, कमजोर देह, कम आमदनी, पारिवारिक उत्पीड़न एवं उचित पोषण के अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है, तथा कई बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं। वे अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं। कम उम्र की पत्नियाँ कम उम्र की माताएँ बन जाती हैं।

चित्र 9.3

बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाना जरूरी है। यद्यपि कानूनी दृष्टि से बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। विशेष विवाह अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम में तो न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है जो लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। साथ ही बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 पारित किया जा चुका है।

किशोरों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने परिवार एवं समाज के दबाव में आकर छोटी उम्र में विवाह न करें तथा बाल विवाह के स्वास्थ्य एवं विकास पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव पर अभिभावकों के साथ चर्चा करें एवं उन्हें इस बात के लिए तैयार करें कि वे अभिभावक बालिग होने पर ही उनका विवाह करें।

यौन हिंसा

हमारे समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार, विशेषकर घरेलू अत्याचार बढ़ा है। यह हिंसा, पुरुष तथा महिलाओं के बीच असमानताओं के कारण है। यह हिंसा, महिला के शारीरिक व मानसिक विकास को ठेस पहुँचाती है और उसकी स्वतन्त्रता पर बाधा डालती है।

महिलाओं पर होने वाली हिंसा है–

• आपराधिक हिंसा जैसे छेड़छाड़, अश्लील टीका–टिप्पणी, अश्लील चित्र दिखाना, बलात्कार, शोषण, अपहरण, आदि जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई बार इसका परिणाम यौन संक्रमित रोग एवं एड्स के रूप में भी परिलक्षित होता है।

– घरेलू अत्याचार, – दहेज यातना, पत्नी की पिटाई, विधवा और वृद्धा के साथ दुर्व्यवहार आदि।

– सामाजिक अत्याचार, – गर्भ की जाँच, कन्या भ्रूण हत्या, सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रखना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना और सती होने के लिये बाध्य करना।

चित्र 9.4

अत्याचार–दुर्व्यवहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य –

– यौन अत्याचार–दुर्व्यवहार केवल लड़कियों के साथ ही नहीं होता, किशोर लड़कों पर भी इस तरह के अत्याचार होते हैं।

– कभी–कभी किशोर–किशोरियों के साथ बचपन में घर व घर से बाहर अत्याचार–दुर्व्यवहार किया जाता है।

– किशोर व किशोरियों पर किये जाने वाले अत्याचार–दुर्व्यवहार अधिकतर उनके परिवारजनों, पास–पड़ोसियों एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा किया जाता है।

यदि किसी किशोर–किशोरी के साथ किसी प्रकार की हिंसा होती है तो वे इसका विरोध करें ताकि उस व्यक्ति को आगे और किसी के साथ ऐसा करने का प्रोत्साहन न मिले एवं इसकी चर्चा अपने अभिभावक और शिक्षकों से करें। अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृति कार्यक्रमों में हिंसा, छेड़छाड़ आदि अपराधों के विरुद्ध व्यापक आम सहमति बनाने के लिए लघु नाटिकाएँ, चर्चाएँ तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।

• **बाल श्रम**

हमारे समाज में एक तरफ जहाँ बच्चों को भविष्य का ''राष्ट्र निर्माता'' माना जाता है, वहीं दूसरी ओर लाखों बच्चे शोषण का शिकार हो रहे हैं। गुमनामी के अँधेरे में जीने वाले ये उपेक्षित बच्चे अपने माँ–बाप का दिया हुआ नाम तक गँवा चुके हैं। अब ये सिर्फ छोटू–मोटू, रामू या 'ए लड़के', 'वे लड़के' होकर रह गये हैं। कहीं टाइम पास तो कहीं चवन्नी, अठन्नी कहे जाने वाले इन बच्चों को किसी श्रेणीगत ढाँचे में रखें तो इन्हें बाल श्रमिक या बाल मजदूर कह सकते हैं।

अधिकांशतः गरीबी के कारण परिवार की आय को बढ़ाने के लिए बाल श्रम की स्थिति पैदा होती है। परिवारों में माता–पिता अथवा बच्चे कोई भी शिक्षित नहीं होते। इसलिए अशिक्षा व अज्ञानता के कारण भी यह हालत आती है। कई बार परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति कमाने वाला नहीं होता, उस स्थिति में भी बाल मजदूरी की समस्या उत्पन्न होती है। परिवार का नकारात्मक व्यवहार और परिवार का टूटना भी इस समस्या को जन्म देता है। बेरोजगारी की समस्या भी बाल श्रम का एक बहुत बड़ा कारण है।

भारत में 14 साल से कम आयु के बालक–बालिकाओं को पैसा देकर या दबाव में या प्रलोभन में कोई कार्य कराना कानूनन अपराध है तथा इसके लिए बालश्रम कानून भी बना हुआ है। बालश्रम का सम्बन्ध व्यक्ति एवं परिवार की आजीविका एवं रोजी–रोटी से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है, इसलिए परिवार के बड़े लोग किसी बालक को श्रम करने हेतु बाध्य या संलग्न करते हैं तो यह उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास व सहभागिता सम्बन्धी अधिकारों का हनन है। बालश्रम कानूनी अपराध है ।

चित्र 9.5

इसके अलावा भी समाज में अनेक समस्याएँ हैं, जैसे – छुआछूत, जातिवाद, साम्प्रदायिकता एवं धार्मिक भेदभाव आदि। किशोर वर्ग इन समस्याओं के सन्दर्भ में अपनी एक स्वतन्त्र तथा तटस्थ समझ बनाते हुए अपने साथियों के सहयोग से उनके समाधान में अहम् भूमिका निभा सकते हैं।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- हमारे समाज का भले ही कितना ही विकास हो चुका हो किन्तु बहुत सी सामाजिक बुराइयाँ अभी भी व्याप्त हैं। जैसे – लिंग–भेद, भ्रूण–हत्या, बाल–विवाह, हिंसा व बाल–श्रम आदि।
- समस्याओं के निवारण हेतु सरकार द्वारा कठोर नियम बनाये जा चुके हैं।
- इन समस्याओं के निवारण के लिए व्यक्ति का स्वयं जागरूक होना आवश्यक है – विशेषतः किशोरावस्था से ही यह जागरूकता पैदा होनी चाहिये। तभी इनका निवारण सम्भव है।

जानें, समझें और करें

1. नीचे तीन कहानियाँ दी गई हैं उन्हें पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करके उत्तर दीजिए –

(1) मेरा मित्र एक गाँव का रहने वाला है उसके परिवार में कुल पाँच सदस्य हैं– स्वयं, पत्नी, एक लड़की व दो लड़के। वह एक किसान है। उसके पास एक गाय भी है, परन्तु दूध सिर्फ बेटों को ही दिया जाता है। उसका कहना है कि बेटी को दूध की जरूरत नहीं होती क्योंकि लड़कियाँ वैसे ही तेजी से बड़ी हो जाती हैं और उन्हें घर में ही रहना होता है। उसका मानना है कि लड़के घर से बाहर जाते हैं और खेलते हैं इसलिए उन्हें दूध की आवश्यकता अधिक है।

- क्या लड़के व लड़कियों को विकास के लिये बराबर मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है ? यदि हाँ तो क्यों ?

....

....

(2) मेरे पड़ोसी ने अपनी बेटी का विवाह 15 वर्ष की उम्र में ही पास के एक गाँव में कर दिया। विवाह के एक वर्ष के अन्दर ही उसने एक पुत्री को जन्म दिया। कम उम्र में माँ बनने और उचित देखभाल नहीं होने के कारण वह बहुत कमजोर हो गई। छः माह भी नहीं बीते कि वह फिर से गर्भवती हो गई। परिवार में सभी की इच्छा थी कि इस बार लड़का हो। इसलिए उसकी सोनोग्राफी करवाई गई। सोनोग्राफी में कन्या का पता चलने पर गर्भपात करवा दिया गया। मेरे पड़ोसी की बेटी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है।

चित्र 9.6

- सोनोग्राफी में लड़का–लड़की का पता लगाना एक कानूनी अपराध है। उस लड़की के पति को क्या करना चाहिये था ?

....

....

- वह लड़की अपने पिता को क्यों नहीं समझा सकी कि कम उम्र में उसका विवाह न किया जाए?

....

....

(3) एक गाँव की ग्यारह वर्षीय लड़की प्लेटफॉर्म पर भुट्टे बेचने का काम करती है। एक दिन जब वह भुट्टे बेच रही थी तब ट्रेन से एक यात्री उतरा। उसने उस लड़की से भुट्टा खरीदा और पैसे पूछने पर 3 रु. के स्थान पर 5 रु. दिये। फिर उस यात्री ने उससे कहा कि "तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे–अच्छे कपड़े, खिलौने और टॉफियाँ दिलाऊँगा।" वह लड़की ट्रेन में उस यात्री के साथ बैठ गई। थोड़ी दूर जाने के पश्चात् उस यात्री ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। वह घबरा कर रोने लगी। उस लड़की के ही गाँव का एक लड़का उसी ट्रेन में मूँगफली बेच रहा था। वह उसे पहचान गया और उसे उसके घर पहुँचा आया।

- भुट्टे बेचने वाली लड़की यात्री के साथ क्यों गई ? उसे क्या करना चाहिए था ?

....

....

"जिस घर में नारी का आदर नहीं होता है, वहाँ से लक्ष्मी, धर्म और सुख का वास उठ जाता है।" – चाणक्य